

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 139

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई

मुकदमा नम्बर :- 59 / 2023 (मोहिनी बनाम मनफूल उर्फ मंगतूराम वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 04.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.12.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम बासड़ी स्थित भूमि हाल ख0न0 171, 172 कुल किता 2 कुल रकबा 3.73 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में धर्मपाल पुत्र श्योदान का नाम हजफ कर सम्पूर्ण भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/7-1/7 तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 04.12.2024 को जारी की गई।



५०१

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर